



# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 60 / 2018-19  
 बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से  
 संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	<p>झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016                      सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार                      विभाग का पत्र सख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एंव                      सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश                      के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम की                      गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया                      गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<del>आधाहाटा</del> मौजा न०- 89 खाता न० 28                      प्लॉट न० 184 रकबा 57.50 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद                      बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के                      पजी-11 के जिल्द सख्या 2 के पृष्ठ सख्या 342 पर जमाबंदी रयत श्रीमती विद्या  <del>श्रीमती श्री. रामाप्रसाद चौधरी</del> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी                      की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से                      प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के                      आधार प/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार                      पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एंव राज्य                      को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की                      सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950                      की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।                      अभिलेख दिनांक 23/3/19 को रखे।</p>	


  
 13-3-19  
 अचल अधिकारी,  
 धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन अर्थात् प्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19  
अभिलेख उपास्थपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


06/6/20  
अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

20/6/20  
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा ~~कामाधारा~~ गौजा नं० 09 खाता ~~184~~ 28 प्लॉट नं० 184, रकबा 05 ~~000~~ मूमि से संवधित है। आवेदित मूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की मूमि है। जमाबदी रयत के खोज वीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित मूमि दाखिल खारिज केस नं० 392 (11) 03-04 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशासा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख मूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।